अनुसूचित जातियों की शिक्षा : एक अनुशीलन

अरूण कुमार मिश्रा*

अनुसूचित जातियों की शिक्षा में भागीदारी का प्रश्न सचमुच आज का सबसे ज्वलंत और गंभीर विषय है। यह लोकतंत्र में भी भागीदारी का प्रश्न है। यह सर्वविदित ही है कि हिन्दू समाज की वर्णव्यवस्था में शूद्रों को पढ़ने-लिखने का अधिकार नहीं था। इस बात का श्रेय तो ब्रिटिश सरकार को ही जाता है कि उसने अनुसूचित जातियों को पढ़ने-लिखने का अधिकार दिया। ब्रिटिश सरकार ने इनके लिए शिक्षा का द्वार खोलकर इस व्यवस्था को तोड़ा। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में ज्योतिराव फुले तथा बीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति की शिक्षा पर ध्यान दिया और उनकी मुक्ति के लिए सामाजिक आन्दोलन चलाया।[1] १९६० में श्री यू.एन. ढेबर की अध्यक्षता में एक कमीशन गठित हुआ और उसने अनुसूचित जाति/जनजाति की शिक्षा के सम्बन्ध में १९६१ में निम्न सुझाव दिये।

१. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय।
२. दलित के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, मध्यान्ह भोजन और वस्त्र भी निःशुल्क दिये जायें।
३. इनके बच्चों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षक तैयार किये जायें।
४. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्य करने वाले शिक्षकों को आवास सुविधा और विशेष भत्ता दिया जाय।

अनुसूचित जातियों के छात्रों के उत्थान के लिए शिक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए इन वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था की गई है। कक्षा १ से ५ तक के छात्रों को १२ रूपये मासिक, कक्षा ६-७ और ८ में २० रूपये मासिक और कक्षा ९-१० में ३० रूपये मासिक दर पर छात्रवृत्ति दी जाती है। अभी तक जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा स्कूलों की रिपोर्ट के आधार पर छात्रवृत्तियाँ दी जाती थी किन्तु अब छात्रवृत्ति देने की नवीन प्रक्रिया अपनायी गयी है जिसमें ग्राम प्रधानों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सदस्यों एवं प्रधानाध्यापक के संस्तुति में निर्धारित संयुक्त खाते पोस्ट आफिस अन्यथा बैंक खाते के नाम खोला जायेगा जिसमें जिला अनुसूचित जाति कल्याण अधिकारी द्वारा धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी। छात्रवृत्ति वितरण हेतु समिति द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी।

***शोधछात्र, शिक्षा विभाग अ.प्र.सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)**

इनके शैक्षिक उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास किये गये हैं, जो निम्नलिखित हैं -

(i) पूर्व दशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूति।
(ii) दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सुविधाएं।
(iii) बुक बैंक की योजना।
(iv) हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट फाइनल परीक्षा से पूर्व अनुसूचित जाति के छात्रों को विशेष कोचिंग व्यवथा।
(v) अनुसूचित जाति की छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था।
(vi) अनुसूचित जाति के छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था।
(vii) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के इंजीनियरिंग कक्षाओं में प्रवेश के पूर्व प्रशिक्षण योजना।
(viii) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को डाक्टरी कोर्स प्रथम वर्ष प्रवेश परीक्षा के लिए पूर्व प्रशिक्षण योजना।
(ix) अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य/संघ सेवाओं की परीक्षापूर्ण प्रशिक्षण योजना।
(x) आश्रम पद्धति विद्यालय।
(xi) स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा शिक्षा संबंधी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधायें।
(xii) विभागीय प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें।
(xiii) विमुक्त जाति के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि।

झा एवं झींगरन ने दलित बच्चो की स्कूली शिक्षा पर किए गए अपने अध्ययन में यह माना कि शिक्षा एक लम्बी प्रक्रिया है और गरीब परिवारों के लिए लम्बी अवधि तक बच्चों को स्कूल भेजना संभव नहीं होता, सामाजिक और आर्थिक रूप से विपन्न दलित परिवारों के लिए यह और भी मुश्किल है।[2] दूबे और माथुर इस बात को प्रमुख रूप से इंगित करते हैं कि अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सरकारी सुविधाएं या उनका वितरण प्रायः असमान ही है,[3] द्वारा अंगीकृत परिभाषा के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे परिवारों (बीपीएल)से आने वाले आर्थिक रुप से वंचित छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करना।[4] अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालय से उच्चतर शिक्षा स्तर तक अपना अध्ययन जारी रखने के साथ-साथ जरुरतमंद अनुसूचित जाति के परिवारों की आर्थिक तरक्की को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक योजनायें लागू हैं। वर्ष २०११-१२ के दौरान ऐसे छात्रों के लिए जिनके माता-पिता

मलिन कार्य पेशे में लगे हैं, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य ८ लाख था। वर्ष २०११-१२ के दौरान ८० करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले ३१ दिसम्बर, २०११ तक अनुमानित ६ लाख लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु ३७.५८ करोड़ रुपए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। मैट्रिक पश्चात् योजना ०१ जुलाई, २०१० से संशोधित कर दी गयी है ताकि पात्रता के लिए वार्षिक पैतृक आय की सीमा १ लाख रुपए से बढ़ाकर २ लाख रुपए की जा सके; पाठ्यक्रमों के समूह को युक्तिसंगत बनाया जा सके, और रख-रखाव और अन्य भत्तों में ६० प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके। मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत २२१८ करोड़ के बजट अनुमान में से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को २१४६.७७ करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। २०११-१२ के दौरान लाभार्थियों की संख्या ५१ लाख होने की संभावना है। एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप स्कीम के तहत छात्रावृत्तियों की संख्या ०१ अप्रैल, २०१० से १,३३३ से बढ़ाकर २,००० कर दी गयी है तथा २०११-१२ के दौरान दिसम्बर २०११ तक २,००० नई छात्रवृत्तियों तथा ५,६६६ के नवीकरण के लिए १०३.६६ करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चयन वर्ष २०१०-११ के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियों के तहत विनिर्दिष्ट विषयों को संशोधित किया गया है तथा नए विषयों अर्थात् मेडिसिन, विशुद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान तथा प्रबंधन को विदेशों में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों और पीएचडी/इसके पश्चात् डॉक्ट्रल पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए विनिर्दिष्ट किए गए हैं। प्रति वर्ष तीस पुरस्कार दिए जाते हैं। २०११-१२ के दौरान ६ करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले दिसम्बर, २०११ तक २.२२ करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

अनुसूचित जाति के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम, डिग्री/पोस्ट डिग्री स्तर तक अनुसूचित जाति के छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जो अधिसूचित संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष २०११-१२ के दौरान आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के ६५२ छात्रों की सहायता के लिए दिसम्बर, २०११ तक ६.०८ करोड़ रुपए जारी किए गए थे। चालू वित्त वर्ष से इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थाओं की अधिसूचित सूची में २४ नए संस्थान जोड़े गए हैं। इस प्रकार विनिर्दिष्ट संस्थानों की संख्या बढ़कर २०५ हो गयी है। संशोधित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जो कि अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है, के तहत लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सहायता को ५० प्रतिशत से बढ़ाकर १०० प्रतिशत कर दिया गया है। २०११-१२

के दौरान वास्तविक लक्ष्य लड़कियों के लिए ४,७५० सीटें तथा लड़को हेतु ५,००० सीटें हैं उसके लिए ३१ दिसम्बर, २०११ तक लड़कियों हेतु २०० सीटों तथा लड़कों हेतु २०० सीटों के लिए क्रमशः ८.२७ करोड़ रुपए तथा ३.६० करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।[५]

स्थिति में सुधार के लिये सुझाव

अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शिक्षा हेतु निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये गये हैं -

१. जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति से अधिक लोग रहते हों, वहाँ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने को प्राथमिकता दी जाय। जहाँ तक संभव हो ऐसे विद्यालयों के अभिन्न अंगों के रूप में पूर्व-प्राथमिक विद्यालय खोलने चाहिये।

२. सुविधाहीन वर्गों की जनसंख्या हेतु सम्पूर्ण साक्षरता व अनौपचारिक शिक्षा पर बल देना चाहिये।

३. सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये दूरस्थ शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये।

४. अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यालयी-आयु के बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों को विद्यालय में नामांकन हेतु प्रेरित करने के लिए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में अभियान चलाने का उत्तरदायित्व शिक्षकों का होना चाहिये। इस कार्य में स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहायता लेनी चाहिये।

५. छात्रवृत्तियों के साथ-साथ इन बच्चों को गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, स्टेशनरी तथा मध्याह्न भोजन दिया जाय।

६. विद्यालयों में आपरेशन ब्लैकबोर्ड के मानकों के अनुरूप अद्यःसंरचनात्मक सुविधाएँ मुहैया करायी जाय तथा न्यूनतम अधिकतम स्तरों की प्राप्ति पर बल दिया जाय।

७. जनजातीय बच्चों को मातृभाषा के द्वारा पढ़ाया जाय। जनजातीय भाषा में शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार कर ली जाय।

८. न्यूनतम अधिगम स्तरों की प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाय तथा उनके मापन के लिए प्रभावी विधियाँ प्रयोग की जाएँ।

९. मान्यता प्राप्त उन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों को आरक्षण दिया जाये जो सहायता अनुदान प्राप्त करते हो।

१०. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिये माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक व प्रोफेशनल प्रशिक्षण को समेकित कर विशिष्ट पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिये।

११. जहाँ संभव हो जनजाति बहुत क्षेत्रों में पति-पत्नी युगलों की शिक्षक के रूप में नियुक्ति की जाए ताकि वे विद्यालयी शिक्षा में अधिक भागीदारी निभा सकें।

१२. अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल क्षेत्रों में प्रतिभाशाली को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के गति-निर्धारक (=प्रेस सैटिंग) विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित की जाय।

१३. इन समुदायों के अपेक्षाकृत मन्द गति से सीखने वाले विद्यार्थियों (=स्लो लर्नर्स) के निष्पत्ति स्तरों को उच्चीकृत करने का प्रयास किया जाए।

१४. जनजाति बहुल क्षेत्रों में शिक्षा को विद्यालयेत्तर कार्यकलापों से जोड़ा जाए तथा उनमें प्रतिभा प्रदर्शित करने वाले बच्चों की प्रतिभा पहचानने और उसे विकसित करने हेतु सक्रिय प्रयास किये जाएँ। उन्हें खेल-कूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाए तथा उनकी भोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाए।

१५. अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों के छात्रावासों के स्तर को सुधारने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों की पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण विद्यालय/महाविद्यालय में था उसके आसपास होना चाहिए। इसका प्रबन्ध यथासम्भव शिक्षकों द्वारा किया जाना चाहिए तथा सुरक्षा हेतु पर्याप्त उपागम अपनाये जाने चाहिए।

१६. विद्यालयी पाठ्यचर्या में डॉ. अम्बेडकर के दर्शन को शामिल करने की जरूरत है।

१७. शिक्षकों व विद्यार्थियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की संस्कृति की अच्छाइयों तथा अर्थव्यवस्था में उनके योगदान की समझ विकसित करने की कोशिश करनी चाहिये।

१८. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की बहुलता वाले क्षेत्रों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, पहाड़ों, द्वीपों, सीमावर्ती क्षेत्रों, सुदूरवर्ती व मुश्किल पहुँच वाले स्थानों में स्थित शैक्षिक संस्थाओं की अंधःसंरचना सुधारने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए।

१९. ऐसे उपाय किये जाने चाहिये कि छात्रवृत्तियाँ, गणवेश, पुस्तकों, स्टेशनरी आदि प्रोत्साहन अभीष्ट वर्गों तक पहुँच सकें।

२०. अनुसूचित जाति/जनजाति क्षेत्रों में शैक्षिक सुविधाओं की योजना बनाने की जिम्मेदारी स्थानीय समुदाय पर होनी चाहिए। ग्राम शिक्षा समिति/स्थानीय समिति में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, मुख्यतः महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये।[६]

सन्दर्भः

१. भारती, कँवल (२००७), दलित विमर्श की भूमिका, इतिहासबोध प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. ६३, ५२.

२. झा एवं झींगरन (२००२), 'द स्कूलिंग ऑफ दलित चिल्ड्रेन : ए पंडोरास बॉक्स इन एलिमेंटरी एजुकेशन फॉर द युअरेस्ट एंड द डिप्राइज्ड ग्रुप्स : द रियल चैलेंज ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन : सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली

३. दुबे, एस.एन. और उषा माथुर (१९७२), 'वेलफेयर प्रोग्राम फार एसीज : कंटेंट एवं एडमिनिस्ट्रेशन इकॉनोमिक एवं पॉलिटिकल वीकली, वाल्यूम टप्प्, नं. ४.

४. ग्यारहवीं योजना अवधि (२००७-२०१२) के दौरान कॉलेजों को विकास अनुदान संबधी दिषानिर्देष (१४ विलय की गई योजनाओं सहित), विष्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुर षाह जफर मार्ग नई दिल्ली.

५. आर्थिक समीक्षा, २०११-१२, पृ. ३३२.

६. पाण्डेय, रामशकल एवं करूणाशंकर मिश्र (२०१०): भारतीय शिक्षा की समसामयिक समस्याएँ, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, पृ. ३७२-३७३.

******